न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम आइ०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
01/2024	03/01/2024	06/11/2024

1 इन्द्रराज पुत्र श्री भैरूलाल जाति बैरवा निवासी जोरावरपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल निवास भील बस्ती रंगबाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2 चौथमल पुत्र भैरू
3 जनकूबाई पत्नि भैरू
4 विनिताबाई पुत्री भैरू
5 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भैरू
6 रामबिलासीबाई पुत्री भैंरू
7 रामेश्वर प्रसाद पुत्र भैरू
8 हुक्मचन्द पुत्र भैरूलाल जातियान बेरवा निवासीगण जोरावरपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, आर०टी०एक्ट

निर्णय दिनांक :– 06/11/24

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कडीला पटवार हल्का जोरावरपुरा भू:अभिलेख क्षेत्र करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 की खाता संख्या नई 142 पुरानी 139 मे खसरा नम्बर 100 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0. 30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.90 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 2.46 हैक्टेयर कृषि आराजी वादी व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 8 के संयुक्त खाते राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त कृषि आराजी वादी इन्द्रराज व प्रतिवादीगण 02 लगायत 08 को विरासत मे अपने पिता भैरू से प्राप्त हुई है। यह कि वादी व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 08 के पिता–पति भैरू के फोत हो जाने के बाद वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे भैरू के स्थान पर उसके वारिसान वादी सहित प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 08 का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे फौती नामान्तरण के जरिये दर्ज किया गया। यह कि प्रतिवादी क्रम 01 तहसीलदार पीपल्दा व उसके अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा वादी के सही नाम इन्द्रराज की जानकारी किये बिना ही गाँव वालो के बताये गये साधारण बोलचाल के नाम इन्द्रगाज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

गया जबकी वादी का वास्तविक व सही नाम इन्द्रगाज के स्थान पर इन्द्रराज दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन प्रतिवादी क्रम 01 व उसके अधीनस्थ कर्मचारियो द्वारा घोर लापवाही करते हुये वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे गलत इन्द्रगाज दर्ज कर दिया यह कि प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 08 के विरूद्ध वाद पत्र मे किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया हे केवल मात्र संयुक्त खातेदार होने की वजह से वाद पत्र मे फोर्मल पक्षकार बनाया गया है। यह कि श्वादी द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादी क्रम 01 तहसीलदार महोदय पीपल्दा से नाम सही करने बाबत् निवेदन किया गया लेकिन तहसीलदार पीपल्दा द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने की हिदायत देकर स्पष्ट मना करने पर वाद कारण दिनांक 26.12.2023 से लगातार उत्पन्न हो रहा है।

यह है कि ग्राम कडीला पटवार हल्का जोरावरपुरा भू:अभिलेख क्षेत्र करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की खसरा नम्बर 100 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.90 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 2.46 हैक्टेयर कृषि भूमि मे वादी के गलत नाम इन्द्रगाज, को दुरूस्त किया जाकर इन्द्रगाज के स्थान पर इन्द्रराज बैरवा पुत्र भैरू दर्ज किया जावें, तथा पालना हैतु प्रतिवादी क्रम 01 तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जावें।

वादी की ओर से श्याम बैरवा एड0 ने वाद प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण की तलबी सम्मन की गई। तलबी सम्मन से नहीं होने पर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये रजि0 एडी पेश की गई। शामिल पत्रावली है। जवाब सरकार प्राप्त शामिल पत्रावली है। वादी वकील की ओर से साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 इन्द्रराज, पी0डब्ल्यू0 2 चौथमल, पी0डब्ल्यू0 3 राजेन्द्र प्रसाद पेश किए शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मेडिकल कॉलेज कोटा की पासबुक, राशन कार्ड, पेन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि में वादी का नाम इन्द्रराज दर्ज है। पत्रावली में प्रतिवादीकम 1 के प्रस्तुत जवाब सरकार में वादी का नाम इन्द्रगाज उर्फ इन्द्रराज दर्ज करना उचित होगा। उक्त विवेचन के आधार पर इन्द्रगाज पुत्र भेरू के स्थान पर इन्द्रगाज उर्फ इन्द्रराज पुत्र भेरू जाति बेरवा करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम कडीला पटवार हल्का जोरावरपुरा भू:अभिलेख क्षेत्र करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की खसरा नम्बर 100 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.90 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 2.46 हैक्टेयर कृषि भूमि मे वादी के गलत नाम इन्द्रगाज, को दुरूस्त किया जाकर इन्द्रगाज के स्थान पर इन्द्रराज बैरवा

उपखण्ड कलेक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

पुत्र भैरू राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादीक्रम 1 को दिए जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज दिनांक 06/11/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज०)

न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्लाई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– नयन गौतम (आइ.ए.एस)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
01 / 2024	03 / 01 / 2024	06 / 11 / 2024

1 इन्द्रराज पुत्र श्री भैरूलाल जाति बैरवा निवासी जोरावरपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल निवास भील बस्ती रंगबाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2 चौथमल पुत्र भैरू
3 जनकूबाई पत्नि भैरू
4 विनिताबाई पुत्री भैरू
5 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भैरू
6 रामबिलासीबाई पुत्री भैंरू
7 रामेश्वर प्रसाद पुत्र भैरू
8 हुक्मचन्द पुत्र भैरूलाल जातियान बेरवा निवासीगण जोरावरपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादी स्वीकार किया जाकर** वाके ग्राम कडीला पटवार हल्का जोरावरपुरा भू:अभिलेख क्षेत्र करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की खसरा नम्बर 100 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.90 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 2.46 हैक्टेयर कृषि भूमि मे वादी के गलत नाम इन्द्रगाज, को दुरूस्त किया जाकर इन्द्रगाज के स्थान पर इन्द्रराज बैरवा पुत्र भैरू राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादीकम 1 को दिए जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 06/11/24... को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)